मध्यस्थता से दो पक्षों के बीच लंबित मामलों का करें निपटारा : प्रधान न्यायधीश

नईदुनिया न्यूज, कोरबा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के सहयोग से विशेष मध्यस्थता अभियान चल रहा है। 30 जुलाई तक चलने वाले अभियान के अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एस शर्मा ने न्यायाधीशों की बैठक ली। जिसमें उन्होने लंबित प्रकरणों का निराकृत करने के न्यायधीशों को प्रेरित किया।

इस दौरान उन्होने कहा कि मध्यस्थता के लिए मामलों की श्रेणियों में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलु हिंसा, चेक बाउंस मामले, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद के मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली मामले, विभाजन और बेदखली मामले, भूमि अधिग्रहण मामले आदि शामिल है। मध्यस्थता एक विवाद समाधान की सहज, त्वरित और विश्वासपूर्ण प्रक्रिया है। यह न्यायालय से बाहर समाधान के प्रति जन जागरूकता हेतु एक प्रयास है। मध्यस्थता से लंबित मामलों की संख्या में कमी लाई जा सकती है और पक्षकारों को संतोषजनक समाधान प्राप्त हो सकता है। उक्त बैठक में मध्यस्थता केंद्रों की भूमिका, प्रक्रिया और मामलों की पहचान से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा- निर्देश दिए गए। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा, जिला कोरबा के द्वारा समस्त न्यायाधीशों को अधिक से अधिक प्रकरणों को चिंन्हाकित कर मध्यस्थता के लिए कहा।

न्यायधीशा की बैठक लेते प्रधान न्यायधीश ● नईदुनिया